(7)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

(म0प्र0) श्रृंखला न्यायालय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक R-5000-दो/17

विलोपित/विलोपित

Rs.30/-

राजेन्द्र बहादुर सिंह चौहान पिता स्व0 लालबहादुर सिंह चौहान निवासी ग्राम कोटहा, थाना कोतवाली सीधी, तंहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

------पुनरीक्षणकर्ता

R 5000-II/17

बनाम

बृजेन्द्र सिंह चौहान पिता स्व0 लालबहादुर सिंह चौहान निवासी ग्राम कोटहा, थाना कोतवाली सीधी, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

---------उत्तरवादी

पुनरीक्षण विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल सीधी गिर्द प्रथम, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 5/अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19.02.2016 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध ढंग से सीमांकन किया गया है को निरस्त किये जाने बाबत्।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया व सहज स्वाभाविक तथा नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता आराजी खसरा क्रमांक 16/1 व 21/1 रकवा क्रमशः 0.99 हे0, एवं 0.373 हे0 स्थित ग्राम कोटहा, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0) का स्वामी है, तथा अनावेदक आराजी खसरा क्रमांक 16/2 व 21/2 रकवा 0.992 एवं 0.372 हे0 का स्वामी है, उक्त भूमि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता तथा उत्तरवादी की पैतृक भूमियॉ है, जो हिस्सा बांटकर पृथक–पृथक राजस्व अभिलेख दर्ज है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा मनमानीपूर्ण रवैया अपनाकर बिना आवेदक को सूचना दिये आवेदक के पट्टे कब्जे की भूमि का सीमांकन किया है, जिससे उक्त आदेश

(17)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला सीहोर

प्रकरण क्रमांक R 5000 II/17

राजेन्द्र बहादुर सिंह चौहान विरूद्ध बृजेन्द्र सिंह चौहान

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री कामता प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सीहोर तहसील गोपालगंज के प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 19-02-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-19 को कलेक्टर सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	